न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 305/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

प्रहलादराम बनाम सरदारराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

उपस्थित प्रार्थी वकील – श्री जगदीश पोटलिया

उपस्थित विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

निर्णय दिनांक – 30.01.18

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी मौजा ईटादा के खेत खसरा सं. 1211/545 रकबा 20.14 भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थी के खातेदारी खेत की नेखमबन्दी करना न्यायोचित रहेगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर तहसील सेड़वा, पटवारी हल्का ईटादा के मौजा ईटादा के खेत खसरा नं. 1211/545 रकबा 20.14 बीघा, भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।

कमीश्नर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील सेड़वा, पटवारी हल्का ईटादा के मौजा ईटादा के खेत खसरा नं. 1211/545 रकबा 20.14 बीघा भूमि के पड़ौसी समस्त खातेदारों एवं पक्षकरों को नोटिस तामील कराते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो विधिसम्मत तरीके मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाने से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 157 दिनांक 06.02.18

प्रार्थी :-

1.प्रहलादराम पुत्र डालूराम
जाति जाट, निवासी धनाऊ
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.सरदारा पुत्र मकाराम जाति सुथार
2.गोविन्द 3.नेताराम 4.नानगाराम पि.जीयाराम
जाति भील, 5.हसन खां पुत्र अल्फखां
6. रामती पत्नि हबीब 7.अमीनत पत्नि हबीब
जाति मुसलमान, निवासी ईटादा, तहसील
सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 305/2017 दिनांक : 30.01.2018

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र ईटादा के मौजा ईटादा के खेत खसरा सं. 1211/545 रकबा 20.14 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

मौका कमिश्नर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है । कमिश्नर फीश प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे । नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चोहटन

क्रमांक/भू.अ./2018/ 158 to 162 दिनांक 06/02/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. पटवार हल्का ईटादा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे ।
3. प्रार्थी प्रहलादराम
4. विप्रार्थीगण सरदारा वगैरा ।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी
चोहटन